राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(मिनिरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,
E-mail – csf.suratgarh@indiaseeds.com
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi –12

क्र: सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-271/वुड/2024 दिनाँक: 13.03.2025

ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान) में लगभग 7091.15 क्विंटल ईमारती/जलाऊ/स्क्रैप लकड़ी (ईमारती लकड़ी- 217.70 क्विंटल, जलाऊ लकड़ी- 6873.45 क्विंटल) की बिक्री हेतु दिनाँक 02.04.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो कि दिनाँक 02.04.2025 को दोपहर 03:00 बजे मुख्यालय सूरतगढ़ में खुलेगी | इच्छुक योग्य व्यक्ति/क्रेता/फर्म आदि ई-निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं | ई-निविदाएँ देने से पहले Online माध्यम से रु. 1,180/- निविदा फॉर्म राशि व रु. 20,000/- प्रति लॉट के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में **एकमुश्त** जमा करवानी होगी | निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी | निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं | निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है |

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

Particulars	**Details**
Date of issue of NIT	**14.03.2025**
Date and time for submission of online bid	**From 17.03.2025 01:00 PM** **TO 02.04.2025 01:00 PM**
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Suratgarh	**02.04.2025 at 3:00 PM**
Tender Fee (to be deposited online)	**Rs. 1180.00 (Rs. 1000+18% GST)**
EMD Fee (to be deposited online) refer point no. 07 of T&C	**Rs. 20,000.00 per lot.**
Address for communication	**Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)**
Contact Person (with Phone No. & Email)	**Sukhdeep Singh, Asstt. Manager(P) 89015-71906, ago.csfsuratgarh@gmail.com**

THE LOTWISE DETAILS OF LOG WOOD & FIREWOOD ETC.

AT C.S.F. SURATGARH AUCTION ON **02.04.2025**

खंड संख्या	लकड़ी का विवरण/प्रकार/श्रेणी	लॉट नं.	लकड़ी का अनुमानित वज़न (क्विंटल में)	रखे हुए लॉट की जगह की पहचान
1	Firewood (All kind)	Sep-24-FW-I (iii)	1394.40	खंड-1 के लॉट June-23-KLW-I (iii) के उत्तर दिशा की ओर
2	Shisham Logwood	August 2024 II -07	217.70	बाहर मैदान में
	Firewood (All kind)	August 2024 II -11	1977.80	बाहर मैदान में
	Firewood (All kind)	Oct 2024 II -13	2049.80	बाहर मैदान में
	Firewood (All kind)	Oct 2024 II -14	1451.45	बाहर मैदान में

Instructions to Bidder- Online Mode

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	**Details**
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of GST Registration (if any)	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Firm Letter Head (if any)	
Copy of Bank Passbook	
Signed copy of Term & Conditions	
Tender form fee deposited (Yes/No)	
No. of lots applied	
EMD amount deposited (in Rs.)	

क्र: सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-271/वुड/2024 दिनाँक: 13.03.2025

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म : सूरतगढ़ जिला– श्री गंगानगर (राजस्थान)

फार्म में एकत्रित लकड़ी बेचने के लिए ई–निविदा हेतु नियम व शर्तें

1. राष्ट्रीय बीज निगम के **सूरतगढ़ जिला– श्री गंगानगर (राजस्थान)** फार्म कार्यालय के अधिकार में एकत्रित लकड़ी के विक्रय हेतु ई–निविदा सूचना **14.03.2025** के अनुसार निश्चित संख्या लॉट में एकत्रित अनुमानित लकड़ी वज़न लाट को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है।
2. विक्रय किये जाने वाले वृक्षों / एकत्रित लकड़ी की बिक्री निविदा या नीलामी अथवा निविदा सह नीलामी द्वारा **"जैसा है जो है जहाँ है"** के आधार पर की जाएगी। इसके प्रयोजनार्थ वृक्षों / लकड़ी की बिक्री के नियम एवं शर्तें निविदा/बोलीदाता ने भालिभांति जान-समझ ली हैं तथा उसे स्वीकार हैं।
3. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा /बोली दाता द्वारा वृक्षों / लकड़ी की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया गया है। वृक्षों / लकड़ी की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा।
4. टेन्डर/ नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, डाइविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली दाता/ ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज़ साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टेंडर/नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति, व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर निविदा के साथ संलग्न / नीलामी के समय जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र / सूचना निविदा/बोली दाता के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. फार्म प्राधिकारी, को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये, निविदा अथवा बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें। इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा।
6. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय / फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से निविदा / नीलामी के कार्य के अयोग्य हो। ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था निविदा अथवा नीलामी में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वत: जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 39 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी।
7. प्रत्येक बोली दाता को बोली/टेन्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई निविदा फॉर्म राशि एवं धरोहर राशि **(ईएमडी)** ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी । वृक्षों/लकड़ी की बोली यदि लॉट के हिसाब से अलग-अलग की जाती है तो प्रत्येक लॉट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी ।

a. **प्रत्येक लॉट हेतु धरोहर राशि : रु 20,000/-**

b. यदि निविदादाता एक ही लॉट की दरें भरना चाहता है तो उसे एक ही लॉट की धरोहर राशि रु. 20,000/- व निविदा फॉर्म राशि जमा करवानी होगी | परंतु यदि निविदादाता एक से अधिक लॉट हेतु दरें भरना चाहता है तो उतने लॉट की धरोहर राशि (No. Of Lots to be applied X 20,000/-) एकमुश्त कुल राशि व निविदा फॉर्म राशि bidding से पूर्व जमा करवानी होगी |

   यदि कोई निविदादाता भरे हुए लॉटस की कुल धरोहर राशि नहीं जमा करवाता है तो उसकी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा |

8. धरोहर राशि के लिए चैक या लिफाफे मे रखी गयी नगद राशि मान्य नही होगी । असफल निविदा / बोलीदाता को धरोहर राशि फार्म के खाते में जमा होने के बाद एक सप्ताह में चैक द्वारा अथवा बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से अदा कर दी जाएगी।

9. निविदादाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने या दरों मे संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

10. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एंव फैक्स व पत्र/ ईमेल / अनुशंसा / अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा।

11. सफल निविदा/बोली दाता को निविदा राशि का 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 3 दिवस मे जमा करनी होगी।

12. सफल निविदादाता / बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धन राशि उसी समय अथवा अधिकतम 3 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी। बकाया राशि/ राशियों को जमा करने में विलंब होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति ले कर जमा करनी होगी।

13. सफल निविदादाता द्वारा निविदा में दिये लॉट अनुसार लकड़ी की मात्रा (वजन) के अनुसार राशि फार्म खाते में जमा करनी होगी | लकड़ी उठाने के दौरान यदि लॉट में लकड़ी की मात्रा (वजन) कम होता है (सामान्यतः लकड़ी के सूखने के कारण या फार्म के internal उपयोग के कारण वजन कम होता है) तब उस दशा में पार्टी द्वारा उठायी गयी लकड़ी की मात्रा के अनुसार भुगतान (GST समेत) फार्म द्वारा रखा जायेगा तथा लॉट में जो लकड़ी की मात्रा (वजन) में कमी आयेगी उसकी राशि फार्म द्वारा पार्टी को refund कर दी जायेगी |

14. प्रतिभूति तथा प्रारंभिक 25% राशि जमा करने हेतु समान्यत: कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि शेष संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा में भी जमा नहीं की जाती है तो उस दशा मे क्रेता द्वारा जमा की गई राशि से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जायेगी इस स्थिति में ठेका स्वत: रद्द हो जायेगा। जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा। इस स्थिति मे संबंधित वृक्षो / लकड़ी के संबंधित लाट/लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।

15. क्रेता द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई-पातन / लकड़ी की ढुलाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

16. वृक्षों के पातन-कटाई / लकड़ी की ढुलाई हेतु **स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 90 दिवस समय सीमा** ***(एकत्रित लकड़ी की बिक्री हेतु 60 दिवस)*** के भीतर सभी वृक्षों की कटाई कर फार्म से ले जाना होगा। ज्यों ही वृक्षों की कटाई या लकडी के उठाने का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का वृक्षों या लकडी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। वृक्षों / लकड़ी की कटाई अथवा ढुलाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 90 दिवस के उपरान्त निम्नलिखित दर से भूमि कर (Ground Rent) चुका कर शेष पेड़ / लकड़ी काटने-उठाने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:

i. प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस रु 5/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से। ***(लकड़ी विक्रय ठेका: रु.2/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने -लेजाने हेतु)***

ii. द्वितीय अतिरिक्त 60 दिवस रु 10/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से। ***(लकड़ी विक्रय ठेका - द्वितीय अतिरिक्त 30 दिवस: रु.5/- प्रति कुंतल प्रति दिवस 30 दिवस मे लकड़ी उठाने-लेजाने हेतु)***

(जंगली झाड़ियों जैसे जुलिफ्लोरा के विक्रय हेतु झाड़ियों का प्रकार, सघनता, फैलाव आ स्थिति को ध्यान में रखते हुए फार्म समिति समय सीमा का निर्धारण निर्णय ले)

17. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्ष / लकड़ी लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा मे **<u>शर्त संख्या 39</u>** के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष / झाड़ी / लकड़ी लॉट को **एक ओर से काटना / उठाना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने-उठाने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।**
19. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की कटाई / लकड़ी की उठाई करेगा। यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से **दो गुना** होगा। यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते है तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दे तथा <u>शर्त संख्या 31 एवं 39</u> के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है।
20. यदि फार्म जंगली बबूल/जुलिफ्लोरा की झाड़ियों की नीलामी करता है तो क्रेता अधिकृत निश्चित स्थान से एक ओर से 6" गर्थ (मोटाई) तक की झाड़ी लकड़ी काट कर व तौल ले जा सकता है। यदि वह अधिक मोटाई वाले वृक्ष काटता है तो शर्त संख्या 18 के अनुसार कार्यवाही मान्य होगी।
21. यदि फार्म द्वारा निकट के खेतों में खड़ी फसलों को वृक्षों के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान मे रखते हुए यदि वृक्षों के पातन-कटाई का कार्य रोका जाता है तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अतिरिक्त समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा।
22. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/ न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय में से शेष बचे वृक्षों/लकड़ी के एवज में फार्म द्वारा आँकलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है।
23. ठेका समाप्त होने पर सम्बंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष - अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल निविदा/बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा।
24. सफल निविदा/बोली दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को **हस्तांतरित नही** किया जायेगा। इसकि अवहेलना करने पर ठेका रद्द माना जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ <u>शर्त संख्या 31 एवं 39</u> के अनुसार कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।
25. विक्रय किए गए वृक्षों को काटने / लकड़ी को उठाने-लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जाऐंगे उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी। फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दें तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करें ।खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट / वृक्ष संख्या के अनुसार तथा लकड़ी की बिक्री लॉट में वज़न / तौल के आधार पर होगी।

26. लकड़ी काटने, ट्रांजिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिए परिवहन आदि का **प्रबंध ठेकेदार को स्वयं** अपने खर्च पर करना होगा।

27. ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अंन्तर्गत बनायी गई सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम

के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने ख़र्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार/क्रेता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (इंडेमनिटी बाण्ड) इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के उन देखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्चे ठेकेदार को वहन करने होंगे।

28. यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष/लकड़ी काटते हुए पाया गया तो खरीददार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है । यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा ।

29. वृक्षों व लकडी की निवदा-नीलामी/बिक्री " **जैसा है जो है जहॉ है "** आधार पर की जाएगी | बिक्री किए गये पेड़ों व लकड़ी को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिये, बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेडों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आँधी-तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक-कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा ।

30. ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता द्वारा फार्म मे अन्यत्र असंबंधित गतिविधियाँ, कार्यकलापों में रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों मे संलिप्त पाये जाने, अथवा यदि फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना / कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म मे प्रवेश निषिद्द किया जा सकता है तथा इस दशा मे उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेंगी।
31. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब एसी दशा मे फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा की ठेके को <u>शर्त सं 39</u> के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधी के लिए निगम के फार्मों / क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे। विवाद, झगड़े या मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी / सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता / ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
32. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
33. ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी **कृषि कार्य / कार्यों पर आपत्ति करे,** साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे ।
34. इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों, लकड़ी अथवा झाड़ियों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T.P.) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता / ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा ।

35. नीलामी के उपरांत ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिगं, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने **जोखिम व खर्चे पर** करेगा.

36. पारगमन परमिट **(T.P.) क्रेता द्वारा स्वयं** ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।

37. वृक्षों को जड़ सहित काटना होगा। जड़ एवं लकडी ले जानी होगी। जड़ उखाड़ने से हुए गड्ढे को भरना होगा।***(आवश्यकता / प्रावधान अनुसार)*** ठेकेदार/क्रेता द्वारा अवहेलना की दशा में वृक्ष की औसत कीमत की 20% के बराबर की धन राशि धरोहर एवं प्रतिभूति राशि में से जब्त कर ली जाएगी।

38. पेड़ों के पातान-कटाई से सड़क अवरूद्ध नहीं होनी चाहिये एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिये। पेड़ों के पातान**,** कटाई अथवा सड़क रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए।

39. इस निविदा - नीलामी सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार / उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों / उठाई-ढुलाई की गई लकड़ी की फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्रावधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म मे जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले।

40. वृक्षों /लकड़ी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा। साधारणत: यह अनुमति कार्य दिवस में प्रात 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होगी। कटे वृक्ष अथवा लकड़ी फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।

41. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा । इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, साथ ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

42. इस सौदे के लिए रू॰ **500/- (एक सौ)** के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ो / लकड़ी का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तों पर करार (Agreement) तथा रू॰ **100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 27 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड** (Indemnity Bond) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। **स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना होगा।** उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने **के 7 कार्यदिवस** के अंदर करने होंगे।

43. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

घोषणा :- मैंने फार्म में खड़े पेड़ों / वृक्षों/ झाड़ियों/ एकत्रित लकड़ी खरीदने हेतु निविदा-सह-नीलामी की शर्तें पढ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में किये है। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गयी हैं तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय सूरतगढ़ जिला– श्री गंगानगर (राजस्थान) के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग / भाग मानी जायेंगी।

(निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर)

दिनांक _______________

स्थान _______________